संख्या-72/2017/आर-992/26-3-2017-10(7)/2012

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 11 मई 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-18/ज.जा.वि./17-18, दिनांक-13.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-'2225-02-796-18-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)' में संचालित अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना में प्राविधानित धनराशि रूपया-130.00/- लाख आय-व्ययक के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह (माह अप्रैल से माह अगस्त 2017 तक के लिये) हेतु कुल रूपया-54.10 लाख (रूपये चौवन लाख दस हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि को योजना के सम्बन्ध में निर्गत सुसंगत शासनादेश संख्या-46/2016/889/26-3-2016, दिनांक-16.03.2016 में वर्णित प्राविधानानुसार लाभार्थियों का चयन कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग करने के उपरान्त ही उपभोग प्रमाण पत्र/पुष्टि करते हुये अवशेष धनराशि की मांग शासन से की जायेगी।

(3) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार विचलन अनियमितता मानी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी.एल.ए., डाकघर, डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र भौतिक प्रगति सहित सूचना महालेखाकार उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-18-अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-72/2017/992(1)/26-3-2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
4-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।